

हम महाराणा प्रताप के संदेश को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का कर रहे काम : भजनलाल शर्मा

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने मातृभूमि की रक्षा के लिए राजमहलों का वैभव त्यागकर जंगलों का कष्टमय जीवन जीया, लेकिन आजीवन अपने स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं किया। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप महान योद्धा, परम स्वाभिमानी और स्वतंत्रता प्रेमी थे। उन्होंने हमें सदैव सत्य, धर्म और राष्ट्रह्त्त के मार्ग पर चलना सिखाया। शर्मा बुधवार को बिड़ला ऑडिटोरियम में महाराणा प्रताप फाउंडेशन की ओर से आयोजित 'शौर्य गाथा के रंग' कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए गौरव की बात है कि महाराणा प्रताप जैसे वीर और पराक्रमी योद्धा ने राजस्थान की महान धरती पर जन्म लिया। उनका सम्पूर्ण जीवन हम सभी के लिए प्रेरणापुंज है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराणा प्रताप की वीरता से देश-दुनिया के ख्यातमान इतिहासकार भी प्रभावित हुए। कर्नल जेम्स टॉड ने महाराणा प्रताप की वीरता की प्रशंसा करते हुए हल्दीघाटी के युद्ध को धर्मोपल्ल्वी और दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैरथान बताया। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप केवल देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में प्रेरणा के स्रोत हैं। उनकी देशभक्ति,



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को बिड़ला ऑडिटोरियम में महाराणा प्रताप फाउंडेशन की ओर से आयोजित 'शौर्य गाथा के रंग' कार्यक्रम का उद्घाटन किया।

वीरता एवं शौर्य को काल और भौगोलिक सीमा में नहीं बांधा जा सकता है।

शर्मा ने कहा कि हम महाराणा प्रताप के संदेश को पूरी दुनिया में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े विभिन्न स्थलों चाचांव ड-हल्दी घाटी-गोर्गु दा-

कुंभलगढ़-दिवेर-उदयपुर आदि को सम्मिलित करते हुए महाराणा प्रताप ट्रस्टि सर्किट विकसित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोच और खेल विशेषज्ञ तैयार करने के लिए महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय की स्थापना करने जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराणा प्रताप का जीवन हमें संप्रभुता और

स्वतंत्रता की रक्षा करना सिखाता है। उनके जीवन मूल्यों को आत्मसात कर भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व में मजबूत शक्ति के रूप में पहचान बनाई है। इस शक्ति की एक झलक पूरी दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा। इस ऑपरेशन के माध्यम से पहलगाम में हमारी बहनों का सिंदूर मिटाने वालों की मिट्टी में

■ ‘वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने सत्य, धर्म और राष्ट्रिहत के मार्ग पर चलना सिखाया’

मिला दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री ने पहली जनसभा महाराणा प्रताप की धरती राजस्थान में की।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने सिंधु समझौता रद्द कर पाकिस्तान को साफ कर दिया की पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। शर्मा ने महाराणा प्रताप की वीरता एवं शौर्य की विरासत को संरक्षित करने और उनके जीवन मूल्यों को जन-जन तक पहुंचाने के सराहनीय कार्य करने के लिए महाराणा प्रताप फाउंडेशन की प्रशंसा की।

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को नमन किया एवं पंडित नरेंद्र मिश्र द्वारा लिखी गई रचना का जिक्र करते हुए कहा कि 'राणा प्रताप इस भारत भूमि, मुक्ति मंत्र के गायक हैं...राणा प्रताप आजादी के अपराजित काल विधायक हैं'।

इस अवसर पर विधायक महेन्द्रपाल मीना सहित महावीर सिंह सरवड़ी, राम सिंह चंदलाई, सुदर्शन सिंह, प्रेमसिंह बनवासा एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।

नगरीय निकायों के पुनर्गठन एवं पुनर्समीमांकन से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा



मंत्रीमण्डलीय उप समिति के सदस्य जल संसाधन विभाग के मंत्री सुरेश सिंह रावत, राज्यमंत्री वन विभाग संजय शर्मा, राज्यमंत्री सहकारिता विभाग गौतम कुमार तथा समिति के संयोजक राज्यमंत्री नगरीय विकास विभाग झाबर सिंह खरॉ ने बैठक में जोधपुर, भरतपुर एवं जयपुर संभाग की नगरीय निकायों के पुनर्गठन एवं पुनर्समीमांकन के प्रस्तावों पर समीक्षा एवं विचार विमर्श किया गया।

जयपुर। मंत्रिमण्डल सचिवालय के आदेशों की अनुपालना में बुधवार को स्वायत्त शासन विभाग के सभागार में नगरीय प्रशासन की और अधिक प्रभावशाली, उत्तरदायी एवं समावेशी बनाने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण द्वितीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य के नगरीय निकायों के पुनर्गठन एवं पुनर्समीमांकन से जुड़े प्रस्तावों पर गहन परीक्षण और विचार-विमर्श किया गया। बैठक में मंत्रीमण्डलीय उप समिति के सदस्य जल संसाधन विभाग के मंत्री सुरेश सिंह रावत, राज्यमंत्री वन विभाग संजय शर्मा, राज्यमंत्री सहकारिता

विभाग गौतम कुमार तथा समिति के संयोजक राज्यमंत्री नगरीय विकास विभाग झाबर सिंह खरॉ द्वारा इस बैठक में जोधपुर, भरतपुर एवं जयपुर संभाग की नगरीय निकायों के पुनर्गठन एवं पुनर्समीमांकन के प्रस्तावों पर समीक्षा एवं विचार विमर्श किया गया।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल मार्गदर्शन में प्रारम्भ की गई इस पहल का मूल उद्देश्य राज्य के नगरीय निकायों को वर्तमान यथार्थ और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना है, ताकि आमजन तक प्रशासन की पहुँच सुलभ हो, स्थानीय विकास को गति मिले

और शहरी क्षेत्रों में जीवनस्तर में सार्थक सुधार आए। यह प्रक्रिया न केवल नगरीय प्रशासन को अधिक संगठित और जनोन्मुखी बनाएगी, बल्कि स्थानीय शासन में पारदर्शिता, समावेशिता और उत्तरदायित्व की भावना को भी सुदृढ़ करेगी। यह निर्णय प्रक्रिया राजस्थान और शहरी सुशासन की दिशा में एक नई ऊँचाई तक पहुँचाने की और सशक्त कदम है। इस बैठक में स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव राजेश यादव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव इन्द्रजीत सिंह सहित अन्य उच्च अधिकारी भी उपस्थित रहे।

राज्य सरकार बुजुर्गों को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित : अविनाश गहलोत

जयपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक राष्ट्र की नींव हैं, जिस पर वर्तमान खड़ा है और भविष्य निर्मित होगा। हम सब मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहां बुजुर्गों को न केवल सहारा मिले, बल्कि वे स्वयं को समाज

- ‘वरिष्ठ नागरिक राष्ट्र की नींव हैं, जिस पर वर्तमान खड़ा है और भविष्य निर्मित होगा’
- विभिन्न सेशंस में बुजुर्गों को मनोवैज्ञानिक, योग प्रशिक्षक, आहार विशेषज्ञ, सायबर एवं पुलिस अधिकारियों ने दिए विभिन्न पहलुओं पर परामर्श



सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने बुधवार को इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान के सभागार में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण एवं सशक्तिकरण पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला को संबोधित किया।

गृह, स्वयंसिद्धा आश्रम, राजस्थान राज्य वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड तथा अटल वयो अभ्युदय योजना सरीखी विभिन्न योजनाएं संचालित कर हजारों वरिष्ठजनों को लाभान्वित किया जा रहा है। गहलोत ने कहा कि इन सबके अलावा प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में वरिष्ठ नागरिकों के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, देवस्थान विभाग, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग सहित कई विभागों द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही है। उन्होंने कहा कि बुढ़ापा कोई बीमारी नहीं है, यह ताकत और उत्तरजीविशा है, सभी प्रकार के उतार-चढ़ाव और निराशाओं, परीक्षाओं

और बीमारियों पर विजय है। अतिरिक्त मुख्य सचिव कुलदीप राकां ने कहा कि विभाग द्वारा वरिष्ठजनों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि समाज में हो रहे विभिन्न बदलावों के चलते बुजुर्गों में एकाकीपन और अकेलापन तेजी से बढ़ रहा है। ऐसी दशा से बचाव के लिए बुजुर्ग आर्थोपार्जन के साथ स्वयं को व्यस्त रखें और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें।

कार्यशाला में नामचीन मनोवैज्ञानिक, श्रेष्ठ योग प्रशिक्षक, बेहतरीन आहार विशेषज्ञ, स्वयं सेवी संस्था, पुलिस, सायबर सेल के अधिकारी एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों ने योग व ध्यान, मानसिक स्वास्थ्य और निवारक

देखभाल सत्र, पोषण व स्वास्थ्य रूप में वृद्धावस्था, सामाजिक सुरक्षा लाभों के बारे में जागरूकता, वरिष्ठ नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार की रोकथाम और प्रतिक्रिया, सामाजिक-जुड़ाव और समय प्रबंधन के लिए रणनीतियां, वित्तीय योजना और डिजिटल साक्षरता और अंतर पीढ़ीगत संशर्ष के जरिए वृद्धजनों को जागरूक किया।

इस अवसर पर निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव बचनेश अग्रवाल, अतिरिक्त निदेशक केसर लाल मीणा, अतिरिक्त निदेशक रीना शर्मा, संयुक्त निदेशक बीपी चंदेल, जोनल हेड आईसीआईसीआई विकास माथुर, यूएनसीपीयू के दिव्यांश गुला सहित कई विषय विशेषज्ञ उपस्थित रहे।

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने समरावता में हुए उपद्रव के मामले में आरोपी नरेश मीणा की जमानत याचिका पर सुनवाई 30 मई तक टाल दी है। जस्टिस प्रवीर भटनागर की एकलपीठ ने यह आदेश नरेश मीणा की द्वितीय जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान नरेश मीणा की

ओर से अधिवक्ता महेश शर्मा ने कहा कि एसटी आयोग ने अपनी रिपोर्ट में माना है कि घटना में पुलिस ने ज्यादाती की है। पुलिस ने लोगों को मौके पर जमा होने दिया और बाद में उन पर कार्रवाई कर दी। वहीं आयोग की सिफारिश पर प्रशासन ने पीड़ितों को मुआवजा भी दिया है। प्रकरण में याचिकाकर्ता पर हिंसा का आरोप नहीं है। वहीं जिन अन्य

लोगों पर हिंसा का आरोप है, उनमें से कई जमानत पर रिहा हो चुके हैं। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि मामले में गत 11 फरवरी को आरोप पत्र पेश हो चुका है और अदालत ने 14 फरवरी को उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। वहीं अब तक निचली अदालत में ट्रायल आरंभ होकर उस पर चार्ज नहीं लगे हैं। ऐसे में उसे

जमानत दी जाए। जिसका विरोध करते हुए राज्य सरकार की ओर से कहा गया की एफआईआर और आरोप पत्र में याचिकाकर्ता पर स्पष्ट आरोप हैं। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में और तथ्य पेश करने की गुहार करते हुए सुनवाई टालने की गुहार की। इस पर अदालत ने मामले की सुनवाई 30 मई को रखी है।

डॉ. हरिशंकर आचार्य अध्यक्ष, अभय सिंह महासचिव निर्वाचित

जयपुर। पब्लिक रिलेशंस एंड प्लाईड सर्विसेज एसोसिएशन ऑफ राजस्थान (प्रसार) की कार्यकारिणी के चुनावों का परिणाम बुधवार को घोषित किया गया। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कर्मियों के संगठन 'प्रसार' के अध्यक्ष पद पर डॉ. हरिशंकर आचार्य, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर अजय कुमार, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष पद पर धर्मेन्द्र कुमार मीना, मुख्यालय उपाध्यक्ष पद पर चंद्रशेखर पारीक, महासचिव पद पर अभय सिंह और संयुक्त सचिव पद पर सुश्री अंजलिका पंवार निर्वाचन निर्वाचित हुए हैं।

पूर्ण पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ संपन्न हुई निर्वाचन प्रक्रिया के उपरांत, प्रसार चुनाव कार्यालय ने सभी निर्वाचित पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई दी और उन्हें संगठन के विकास एवं सुचारु संचालन में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया।

भिनाय में औद्योगिक क्षेत्र के लिए भूमि आवंटन की मंजूरी

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार औद्योगिक और ऊर्जा क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए संकल्पित है। औद्योगिक निवेश से स्थानीय रोजगार बढ़ाने के साथ विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए निरंतर महत्वपूर्ण फैसले किए जा रहे हैं।

इसी क्रम में मुख्यमंत्री शर्मा ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए अजमेर की भिनाय तहसील स्थित ग्राम कर्नईकलां में 106 हैक्टेयर से अधिक भूमि आवंटन की स्वीकृति प्रदान की है। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड (रीको) को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

1956 की धारा 92 के तहत भूमि गैर प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए आवंटित की गई है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजित होंगे और औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। एक अन्य निर्णय के तहत मुख्यमंत्री शर्मा ने बारां जिले की अंता तहसील के ग्राम सोरसन में 765 केवी जीएसएस के लिए भूमि आवंटन प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत 39.17 हैक्टेयर भूमि को राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को कीमतन आवंटित किया गया है। इसकी स्थापना से विद्युत आपूर्ति व्यवस्था अधिक सुदृढ़ एवं गुणवत्तापूर्ण हो जाएगी।

ईद-उल-अजहा 7 जून को मनाई जाएगी

जयपुर। देश के विभिन्न राज्यों में बुधवार शाम ईद-उल-अजहा के चांद के दीदार हो गए जिसके बाद सात जून को बकरीद का त्योहार मनाने का मुस्लिम धर्मगुरुओं ने ऐलान किया। भारत में बकरीद 2025 में 7 जून को मनाई जाएगी। यह त्योहार पैगंबर इब्राहिम के बलिदान की याद में मनाया जाता है। दुनिया भर के मुसलमान साल के सबसे पवित्र त्योहारों में से एक ईद-उल-अजहा को तैयारी कर रहे हैं, सरुद्धी अरब में 26 मई को अर्धचंद्राकार चांद दिखने के साथ ही 2025 में ईद-अल-अजहा की सही तारीख तय हो गई है। ईद-उल-जुहा या अजहा या बकरीद, ईद उल फ़ित्र के दो महीने नौ दिन बाद मनाई जाती है। इस्लामी कैलेंडर में 29 या 30 दिन होते हैं

कार्रवाई से पूर्व सुनवाई का मौका देना है प्राधिकारी की बाध्यकारी ड्यूटी : हाईकोर्ट

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति के खिलाफ प्रतिकूल कार्रवाई करने या आदेश पारित करने से पूर्व उसे सुनवाई का मौका देना संबंधित प्राधिकारी की बाध्यकारी ड्यूटी है और वह इससे इनकार नहीं कर सकता। इसके साथ ही अदालत ने विद्यार्थी के नकल से जुड़े इस मामले में एनटीए और जेईई परीक्षा आयोग को कहा है कि वह याचिकाकर्ता का पक्ष सुनकर नए सिरे से आदेश पारित करें। अदालत ने याचिकाकर्ता को कहा है कि वह एक सप्ताह में संबंधित प्राधिकारी के समक्ष पेश हो और प्राधिकारी उसका पक्ष सुनकर दो सप्ताह में नया आदेश जारी करें। जस्टिस अनूप कुमार ढंड की एकलपीठ ने यह आदेश माहिर बिश्नोई की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि मामले में

याचिकाकर्ता को सुनवाई के अधिकार से वंचित किया गया है। वहीं उस पर लगाया गया दंड उसके करियर को बर्बाद कर देगा और आने वाले समय में यह कर्लक के संकेत साध रहेगा। इसके साथ ही उसे रोजगार पाने में भी बाधा उत्पन्न होगी। याचिका में अधिवक्ता दीपक बिश्नोई ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने जेईई मेंस, 2025 के परीक्षा दी थी, लेकिन परीक्षा में अनुचित साधन का उपयोग करने का बतारक उसका परिणाम रोक लिया गया। वहीं उसे आगामी दो सत्रों की परीक्षा देने के लिए अपात्र घोषित कर दिया। याचिका में कहा गया कि परीक्षा कक्ष के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। जबकि संबंधित प्राधिकारी ही इस साक्ष्य को लेकर स्पष्ट नहीं है। वहीं कार्रवाई से पहले न तो उसे

नोटिस दिया गया और ना ही उसे सुनवाई का मौका मिला। जबकि नियमानुसार किसी भी व्यक्ति के खिलाफ प्रतिकूल फैसला देने से पहले उसे सुना जाना जरूरी है। दूसरी ओर एनटीए और परीक्षा आयोग की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता परीक्षा के दौरान पास बैठे दूसरे अभ्यर्थी की कॉपी से नकल कर रहा था। दोनों अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिका में उत्तर शब्दशः लिख गए थे। यह सब सीसीटीवी में भी रिकॉर्ड हुआ है। ऐसे में उसे अनुचित साधन का उपयोग करने का आरोप मानते हुए अगले दो सत्रों की परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित किया है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित प्राधिकारी को मामले में याचिकाकर्ता को सुनकर नए सिरे से आदेश देने को कहा है।